तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 10/2020 बअनवान लाभूसिंह वगै. वनाम शैतानसिंह वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2024	**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर** पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस **<u>आदेश</u>** दिनांक 24.12.2024 उपस्थिति 1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री छैलसिंह राठौड़ 2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़ अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण एवं उतरदातागण की संयुक्त कब्जा व काश्त सुदा पुश्तैनी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 10 रकबा 114.09 बीघा, खसरा संख्या 11 रकबा 36 बीघा एवं खसरा संख्या 26 रकबा 589.07 बीघा भूमि मौजा संग्रामसिंह की ढाणी पटवार हल्का भैंसड़ा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर में स्थित है। खसरा संख्या 11 रकबा 36 बीघा रकबा 111.01 बीघा एवं खसरा संख्या 10 रकबा 03.08 बीघा वक्त सेटलमेंट कल्याणसिंह, जुगतसिंह पिसरान बींजराजसिंह निवासी भैंसड़ा माला का धड़ा एवं खसरा संख्या 26 रकबा 589.07 बीघा भूमि भूरसिंह पुत्र कल्याणसिंह, जुगतसिंह पुत्र बींजराजसिंह जाति राजपूत निवासी भैंसड़ा माला का धड़ा के नाम भूलवंश दर्ज हुई थी। उपरोक्त इन्द्राज वक्त सेटलमेंट भूलवंश होने	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	के कारण त्रुटि सुधार बाबत एक वाद वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने अर्थात हमारे पूर्वज दादा संग्रामसिंह जिनके नाम का यह गांव आबाद हुआ था, के वारिशान ने मिलकर सक्षम न्यायालय में पेश किया था जो मुकदमा नम्बर 115/1959 संग्रामसिंह की ढाणी, शोभसिंह वगैरा बनाम कल्याणसिंह वगैरा भैसड़ा दरख्वास्त बाबत दुरस्ती रेकर्ड का एस डी ओ न्यायालय पोकरण में चला था जिसका निर्णय दिनांक 09.05.1960 को जरिये राजीनामा उक्त वाद का निस्तारण किया गया था और उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी भैंसड़ा वासियों के स्थान पर संग्रामसिंह की ढाणी के समस्त संग्रामसिंह के वारिशान के नाम से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज व उनके नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने आदेश दिया था जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में करते समय उक्त निर्णय की पालना नही की गई है वादीगण के पूर्वज जिन्होने कि उस वाद पत्र में लडने में सामूहिक रूप से भागीदारी निभाई थी के नाम से खातेदारी में दर्ज करने से छोड़ दिये गये व प्रतिवादीगण के पूर्वज केवल 4 आदमियों शंभूसिंह, शोभसिंह, रेवन्तसिंह, शिवदानसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज कर ली गई थी जो गलत हुई थी जिसे सही कर सुधारने हेतु अब वादीगण अपने हिस्से की भूमि तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे	

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादीगण से बिना कोई जबावदावा प्राप्त किये, बिना कोई साक्ष्य सकंलित किये ही मनमाना आदेश पारित कर दिया कारण कि यदि न्यायालय जबावदावा लेता, साक्ष्य सकंलित की जाती तो अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते कारण की जो पूर्व में वाद संख्या 115/1959 चला उसको प्रतिनिधित्व वाद साबित करने हेतु जो दस्तावेज पेश किये उसका सारा अवलोकन होने से सारी स्थिति साफ हो जाती लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र सरसरी तौर पर अवलोकन कर रेसज्युडीकेटा के आधार पर वाद को खारिज किया है जो आदेश काबिल खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक रूप से यदि न्यायालय द्वारा वाद का चलन किया जाता, मौका रिपोर्ट आदि मंगवाई जाती तो वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त, रहवासी ढाणीयां, पानी के टांके, चारवाडे इत्यादि की वास्तविक स्थिति का पता चलता और अपीलांटगण अपने हकुको से महरूम नहीं रहते, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्ज्युडीकेटा के आधार पर उक्त वाद को आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के आधार पर खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2018(2) Page 1329

RRT 2006-07(Supp.) Pag 422

RRT 2019(2) Page 1524

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वाद में वर्णित अपीलाधीन आराजी के संबंध में पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 115/1959

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनवार संग्रामसिंह की ढाणी शोभसिंह वगै. बनाम कल्याणसिंह वगैरह भैसड़ा का पेश हुआ जिसमें वाद सुनवाई जरिये राजीनामा के दिनांक 09.05.1960 को निर्णय किया गया। उक्त निर्णय में संग्रामसिंह की ढाणी में समस्त वारिसान वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश वाद चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाटगण हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वाद को तकनीकी आधार पर ही खारिज किया गया। अपीलांट/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। वाद में तनकीयात कायम की गई है लेकिन निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया। अपीलांट/वादी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व वाद संख्या 48/2019 बअनवान लाभूसिंह वगैरा बनाम शैतानसिंह वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2020 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर